लोक सभा सचिवालय

शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (एलसी) 2012/आईबी-1

जून 2012

राष्ट्रपति का निर्वाचन 2012

राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है तथा अपने सभी कृत्यों के निर्वहन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह से कार्य करता है।

संविधान में उपबन्ध है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा, किन्तु वह संसद की किसी भी सभा अथवा किसी राज्य के विधानमंडल की सभा का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद की किसी सभा अथवा किसी राज्य के विधानमंडल की किसी सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सभा में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

यद्यपि राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है, तथापि राष्ट्रपति संसद की किसी भी सभा में नहीं बैठता और न ही चर्चा में भाग लेता है। संसद से संबंधित अपने संवैधानिक कृत्यों के भाग के रूप में राष्ट्रपति समय-समय पर दोनों सभाओं को आहूत करता है और उनका सत्रावसान करता है और इसके साथ ही उसे लोक सभा विघटित करने की भी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति, लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है।

अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रपति को संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में अथवा कोई अन्य संदेश संसद की किसी सभा को भेजने की शक्ति प्राप्त है। कतिपय विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त होने पर ही पुर:स्थापित किए जा सकते हैं और उन पर चर्चा की जा सकती है। इतना ही नहीं, जब दोनों सभाओं का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित करता है जिनका बल और प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पारित विधान का होता है। दोनों सभाओं द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है।

किसी विधेयक पर दोनों सभाओं में मतभेद होने की दशा में राष्ट्रपति दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट रखवाता है। इसके अलावा, राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की राय लेने के बाद इस प्रश्न का विनिश्चय करने की शक्ति प्राप्त है कि क्या विधिवत् रूप से निर्वाचित कोई सदस्य संविधान के किन्हीं उपबन्धों के अनुसार सदस्यता के लिए निरर्हित हो गया है। इस मामले में राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होता है।

अन्तरिम राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 52 में उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान राष्ट्रपति का पद रिक्त न रहे, संविधान के अनुच्छेद 380 में एक संक्रमणकालीन उपबंध किया गया जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि डोमिनियन ऑफ इंडिया की संविधान सभा उस समय तक के लिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी जब तक संविधान के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को अपने अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत के अन्तरिम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया। वह 26 जनवरी, 1950 को इस सर्वोच्च पद पर आसीन हुए तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन और 13 मई, 1952 को पदभार ग्रहण करने तक वह इस पद पर बने रहे।

राष्ट्रपति की पदावधि

राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। तथापि, वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस उपबन्ध से किन्हीं अपूर्वदृष्ट परिस्थितियों के कारण निर्वाचन समय पर न होने की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सकता है।

संविधान में यह अपेक्षा भी है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण किया जाना चाहिए। तथापि, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के रूप में उसके स्थान पर निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करेगा।

चूंकि राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील की पांच वर्ष की पदावधि 24 जुलाई, 2012 को पूरी हो जाएगी, अत: यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और परिणाम समय पर घोषित कर दिए जाएं ताकि नया राष्ट्रपति 25 जुलाई, 2012 को पद ग्रहण कर ले।

कार्यवाहक राष्ट्रपति

संविधान में उपबन्ध है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में भारत का उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है जो रिक्ति की तारीख से छह माह से अनधिक होगी। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

तथापि, संविधान में ऐसी स्थिति के लिए कोई उपबन्ध नहीं है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों के पद रिक्त हों अथवा जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा उपराष्ट्रपति ऐसा करने में असमर्थ हो। इन्हीं परिस्थितियों के लिए संसद द्वारा राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 अधिनियमित किया गया था जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि ऐसे मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उस तारीख तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिस तारीख तक नए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते।

1969 में राष्ट्रपति, डॉ. जाकिर हुसैन के निधन के बाद श्री वी.वी. गिरि ने 3 मई, 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 1969 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए श्री वी.वी. गिरि, जो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ने 20 जुलाई, 1969 को उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। पहली बार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों के पद रिक्त थे। ऐसे समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री एम. हिदायतुल्लाह ने तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जब तक राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई। तत्पश्चात् श्री वी.वी. गिरि निर्वाचित हुए और उन्होंने 24 अगस्त, 1969 को राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया।

भारत के राष्ट्रपति

भारत की संसद के कार्यकरण के पिछले साठ वर्षों में भारत में चौदह राष्ट्रपतियों ने कार्य किया।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (26 जनवरी, 1950–13 मई, 1962)	डॉ. नीलम संजीव रेड्डी (25 जुलाई, 1977–25 जुलाई, 1982)
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (13 मई, 1962–13 मई, 1967)	ज्ञानी जैल सिंह (25 जुलाई, 1982–25 जुलाई, 1987)
डॉ. जाकिर हुसैन (13 मई, 1967–3 मई, 1969)	श्री आर. वेंकटरमण (25 जुलाई, 1987–25 जुलाई, 1992)
श्री वी.वी. गिरि [3 मई, 1969–20 जुलाई, 1969 (कार्यवाहक)] (24 अगस्त, 1969–24 अगस्त, 1974)	डॉ. शंकर दयाल शर्मा (25 जुलाई, 1992–25 जुलाई, 1997)
श्री एम. हिदायतुल्लाह [20 जुलाई, 1969–24 अगस्त, 1969 (कार्यवाहक)]	श्री के.आर. नारायणन (25 जुलाई, 1997–25 जुलाई, 2002)
श्री फखरुद्दीन अली अहमद (24 अगस्त, 1974–11 फरवरी, 1977)	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (25 जुलाई, 2002–25 जुलाई, 2007)
श्री बी.डी. जत्ती [11 फरवरी, 1977–25 जुलाई, 1977 (कार्यवाहक)]	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (25 जुलाई, 2007 से अब तक)

डॉ. जाकिर हुसैन और श्री फखरुद्दीन अली अहमद जिनका निधन क्रमश: 3 मई, 1969 और 11 फरवरी, 1977 को उनकी पदावधि के दौरान हो गया था, को छोड़कर सभी राष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया।

पद की रिक्ति

राष्ट्रपति पदावधि पूरी होने से पहले अपना पद त्याग सकते हैं। ऐसा त्यागपत्र लिखित रूप में भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित होना चाहिए। ऐसा कोई त्यागपत्र उनके द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को भी भेजा जाना अपेक्षित है। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि पूरी होने से पहले महाभियोग चला कर उसके पद से हटाया जा सकता है।

पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

संविधान में उपबंध है कि वर्तमान अथवा पूर्व राष्ट्रपति उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन कितनी बार किया जा सकता है, इस बारे में कोई विधिक सीमा नहीं है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो बार राष्ट्रपति का पद धारण किया और वह भी लगातार 1952 से 1962 तक।

निर्वाचन हेतु पात्रता

संविधान के अनुच्छेद 58 में उपबंध है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए; उसने पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।

ऐसा व्यक्ति भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। तथापि, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

निर्वाचकगण

राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन संसद की दोनों सभाओं और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 54 में उपबंध है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे।

संविधान (सत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया गया कि "राज्य" के अन्तर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र शामिल होंगे। इस तरह, किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों ने पहली बार 1997 में हुए राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लिया।

राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में अब:

(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सहित राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।

राज्य सभा और लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के नामनिर्दिष्ट सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण में शामिल नहीं किया जाता।

उल्लेखनीय निर्णय

मत देने के लिए निरर्हित सदस्यों की पात्रता

दल परिवर्तन रोधी कानून के लागू हो जाने के बाद एक विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या इस कानून के तहत निरर्हित संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य उस दशा में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने के लिए पात्र हैं जब उनकी निरर्हता के विरुद्ध उनकी अपील न्यायालय में लंबित हो। 1987 में पंजाब विधान सभा के 22 सदस्यों को अध्यक्ष ने दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह कर दिया था। उनकी विशेष अनुमति याचिका के विचारण के दौरान उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 मई, 1987 के अपने अंतरिम आदेश में यह निर्णय दिया कि यदि इस मामले की सुनवाई से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निरर्हित सदस्य मतदान में उस प्रकार भाग लेंगे और अपना मत देने के हकदार होंगे जैसे कि वे निरर्ह न हुए हों। आयोग द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय ने 22 जून, 1987 के आदेश के द्वारा यह निर्णय दिया कि मतदान में भाग लेने में अभ्यर्थियों के नामांकनों का प्रस्ताव और समर्थन करना शामिल है। न्यायालय ने इंगित किया कि इन सदस्यों द्वारा डाले गए मतों पर अलग से निशान लगाया जाना चाहिए और गिनती करने के बाद मामले के अंतिम निपटान तक अलग से रखा जाना चाहिए।

[सरदार प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनाम भारत संघ जेटी 1987 (2)एससी 397]

विधान सभा भंग होने से निर्वाचकगण के सदस्यों में हुई रिक्ति

15 मार्च 1974 को गुजरात के राज्यपाल द्वारा गुजरात विधान सभा को भंग कर दिया गया। प्रश्न यह उठा कि विधान सभा के अस्तित्व में न रहने पर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन वैध है या नहीं। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि क्या 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, इस तथ्य के होते हुए कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी गई थी, पदावधि के समाप्त होने से पहले ही हो जाना चाहिए।

न्यायालय ने अपनी राय दी कि राष्ट्रपति की पदावधि निर्धारित है। पदावधि समाप्त हो जाने से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि के समाप्त हो जाने से पहले किया जाना चाहिए था। अनुच्छेद 54 में उल्लिखित निर्वाचकगण के सदस्यों में संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य शामिल हैं। अनुच्छेद 54 के सार के साथ-साथ इसका कार्यक्षेत्र मात्र राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचकों हेतु अपेक्षित अर्हताएं विहित करना है।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने कहा कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी गई थी। भंग किये जाने के परिणामस्वरूप, उस राज्य में विधान सभा के निर्वाचित सदस्य नहीं रहे। यह विषय या तो राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर चुनाव रोकने अथवा करवाने अथवा यह सुझाव देने कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन राज्य की विधान सभा जिसकी विधान सभा भंग थी, के चुनाव के बाद हो सकता है, का आधार नहीं होना चाहिए।

न्यायालय ने राय व्यक्त की कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे निर्वाचन के समय किसी राज्य की विधान सभा भंग थी, राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए।

[राष्ट्रपतीय निर्वाचन 1974, एआईआर 1974 एससी 1682 के संदर्भ में]

राष्ट्रपति का निर्वाचन

संविधान के अनुच्छेद 55 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है कि जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है, उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी:—

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, जितने एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की संपूर्ण संख्या से भाग देने से आएं;

(ख) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद यदि शेष पांच सौ से कम न हों, तो उपखण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा;

(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी, जो उपखण्ड (क) तथा (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत संपूर्ण मत संख्या को, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संपूर्ण संख्या से भाग देने से आये, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी।

मतों के मूल्यों की गणना हेतु, संविधान (चौरासीवां) संशोधन अधिनियम, 2001 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की जनसंख्या के संदर्भ को 1971 की जनगणना का संदर्भ ही माना जाए जब तक कि वर्ष 2026 के पश्चात् की जनगणना के संगत आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते।

विधान सभा के सदस्यों के मतों का मूल्य

विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न होती है क्योंकि इसकी गणना राज्य की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। किसी राज्य की विधान सभा में प्रत्येक सदस्य के मतों के मूल्य की गणना इस प्रकार की जाती है:—

वर्ष 2012 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1971 की जनगणना के आधार पर)	:	83,849,905
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या	:	403
विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या	:	$\frac{83,849,905}{403 \times 1000}$
		= 208.06 = 208

प्रत्येक राज्य की विधान सभा के सभी सदस्यों के मतों का कुल मूल्य विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरणत: 403 × 208 = 83,824 (उत्तर प्रदेश के संदर्भ में)

वर्ष 2012 में चौदहवें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के मतों का मूल्य सबसे अधिक (208) था तथा सबसे कम सिक्किम विधान सभा (7) के सदस्यों का था।

संसद सदस्यों के मतों का मूल्य

संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल मूल्य को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित कर दिया जाता है।

$$\text{प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य} = \frac{\text{सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}$$

राष्ट्रपति निर्वाचन, 2012* में भिन्न-भिन्न राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	विधान सभा स्थानों की संख्या (निर्वाचित)	1971 की जनगणनानुसार जनसंख्या	विधान सभा के एक सदस्य के मत का मूल्य	राज्य के मतों का मूल्य
आंध्र प्रदेश	294	43502708	148	148×294 = 43512
अरुणाचल प्रदेश	60	467511	8	008×060 = 480
असम	126	14625152	116	116×126 = 14616
बिहार	243	42126236	173	173×243 = 42039
छत्तीसगढ़	90	11637494	129	129×090 = 11610
गोवा	40	795120	20	020×040 = 800
गुजरात	182	26697475	147	147×182 = 26754
हरियाणा	90	10036808	112	112×090 = 10080
हिमाचल प्रदेश	68	3460434	51	051×068 = 3468
जम्मू और कश्मीर**	87	6300000	72	072×087 = 6264
झारखण्ड	81	14227133	176	176×081 = 14256
कर्नाटक	224	29299014	131	131×224 = 29344
केरल	140	21347375	152	152×140 = 21280
मध्य प्रदेश	230	30016625	131	131×230 = 30130
महाराष्ट्र	288	50412235	175	175×288 = 50400
मणिपुर	60	1072753	18	018×060 = 1080
मेघालय	60	1011699	17	017×060 = 1020
मिज़ोरम	40	332390	8	008×040 = 320
नागालैण्ड	60	516449	9	009×060 = 540
ओडिशा	147	21944615	149	149×147 = 21903
पंजाब	117	13551060	116	116×117 = 13572
राजस्थान	200	25765806	129	129×200 = 25800
सिक्किम	32	209843	7	007×032 = 224
तमिलनाडु	234	41199168	176	176×234 = 41184
त्रिपुरा	60	1556342	26	026×060 = 1560
उत्तराखंड	70	4491239	64	064×070 = 4480
उत्तर प्रदेश	403	83849905	208	208×403 = 83824
पश्चिम बंगाल	294	44312011	151	151×294 = 44394
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	70	4065698	58	058×070 = 4060
पुडुचेरी	30	471707	16	016×030 = 480
कुल	4120	54,93,02,005		= 5,49,474

* भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

** संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954।

वर्ष 2012 में राष्ट्रपति निर्वाचन में मतों का मूल्य

➤ *प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य*

निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या - लोक सभा (543) + राज्य सभा (233) - 776

सभी राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य - 5,49,474

प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य = $\frac{5,49,474}{776}$ = 708

➤ *776 संसद सदस्यों के मतों का कुल मूल्य*

708 × 776 - 5,49,408

➤ *2012 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कुल निर्वाचक*

विधान सभाओं के सदस्य (4120) + संसद सदस्य (776) - 4896

➤ *2012 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 4896 निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य*

776 संसद सदस्यों के मतों का कुल मूल्य और

सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य

-5,49,474 + 5,49,408 - 10,98,882

आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति

राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। मतपत्र में कोई निर्वाचन चिह्न नहीं होता। मतपत्र में दो कॉलम होते हैं। मतपत्र के कॉलम 1 का शीर्षक है: "***अभ्यर्थी का नाम***" और कॉलम 2 का शीर्षक है "***अधिमान क्रम चिह्नित करें***"।

प्रत्येक निर्वाचक को उतने अधिमान प्राप्त होते हैं जितने अभ्यर्थी हैं। तथापि, कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसे सब अधिमान चिह्नित नहीं किए गए हैं।

निर्वाचक अपना मत देते समय उस अभ्यर्थी के, जिसको वह अपने प्रथम अधिमान के लिए चुनता है, नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 और इसके अतिरिक्त अधिमान क्रम में उतने पश्चात्वर्ती अधिमान, जितने वह चाहता है, 2, 3, 4 अंक और इसी प्रकार के अन्य अंक लगाकर चिह्नित कर सकता है।

अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किए जाने अपेक्षित हैं, किन्तु अधिमानों को शब्दों अर्थात् एक, दो, तीन में उपदर्शित न किया जाए क्योंकि इससे मतपत्र अविधिमान्य हो जाएगा। मतपत्र उस स्थिति में भी अविधिमान्य माना जाएगा यदि उस पर अंक 1 चिह्नित न हो अथवा यह अंक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिह्नित हो।

निर्वाचन के लिए कोटा

प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों के मूल्य की गणना करने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर प्राप्त विधिमान्य मतों के मूल्य का जोड़ करता है। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के लिए कोटे को, कुल विधिमान्य मतों को 2 से भाग करके और भागफल में 1 जोड़कर तथा शेष यदि कोई हो तो उसे छोड़कर अवधारित किया जाता है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सभी अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मतों का योग 10,00,001 है तो निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा:

$\frac{10,00,001+1}{2}$ = 5,00,000.50 + 1 (.50 को छोड़ दिया जाए)

कोटा - 5,00,000+1 - 5,00,001

कोटा तय करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर को यह देखना होता है कि किसी अभ्यर्थी ने उसे मिले प्रथम अधिमानता के मतों के योग के आधार पर निर्वाचित घोषित होना का कोटा प्राप्त कर लिया है।

यदि प्रथम अधिमानता मतों के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी कोटा प्राप्त नहीं करता तो रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना के दूसरे दौर की प्रक्रिया आरम्भ करता है जिसमें प्रथम अधिमानता के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अपवर्जित कर दिया जाता है और उसके मतों को शेष अभ्यर्थियों के मतपत्रों पर अंकित दूसरी अधिमानता के आधार पर उनमें वितरित कर दिया जाता है। अन्य बने रहने वाले अभ्यर्थी अपवर्जित अभ्यर्थी के मतों को उस मूल्य पर ही प्राप्त करते हैं जिस पर वह उस गणना के पहले दौर में प्राप्त करते हैं।

रिटर्निंग ऑफिसर गणना के बाद वाले दौरों में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तब तक अपवर्जित करता जाता है जब तक बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से कोई एक या तो अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता या एकल बने रहने वाले अभ्यर्थी के रूप में केवल एक ही अभ्यर्थी मैदान में शेष रह जाता है और वह उसे निर्वाचित घोषित कर देता है।

1969 के राष्ट्रपति चुनाव में, निर्वाचन के लिए 4,18,169 मतों का कोटा निर्धारित किया गया था। चूंकि पहले दौर में कोई भी अभ्यर्थी अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं कर पाया, शेष अभ्यर्थियों को तब तक अपवर्जित कराया जाता रहा जब तक कि केवल दो अभ्यर्थी अर्थात्, श्री वी.वी. गिरि (4,20,077 मत) और डॉ. नीलम संजीव रेड्डी (4,05,427 मत) मैदान में नहीं रह गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कोटा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्री वी.वी. गिरि को निर्वाचित घोषित कर दिया।

निर्वाचन की अधिसूचना

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील की पदावधि 24 जुलाई, 2012 तक है। अत: 24 जुलाई, 2012 से पहले एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन किया जाना है। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु अधिसूचना पदावरोही राष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व के साठवें दिन को अथवा उसके पश्चात् किसी दिन जारी कर सकता है अर्थात् निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की अधिसूचना 25 मई, 2012 के बाद किसी भी दिन जारी कर सकता है।

रिटर्निंग ऑफिसर

परम्परानुसार लोक सभा के महासचिव अथवा राज्य सभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2007 के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु लोक सभा महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। इसलिए 2012 के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु राज्य सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्य सभा सचिवालय के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सहित सभी राज्यों की विधान सभाओं के सचिवों और एक-एक और वरिष्ठ अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है।

मतदान का स्थान

नई दिल्ली में संसद भवन में एक कक्ष तथा राज्य विधान सभा सचिवालयों में एक-एक कक्ष को सामान्यतया मतदान के स्थान के रूप में नियत किया जाता है। संसद सदस्य सामान्यतया नई दिल्ली में मतदान करते हैं तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं के सदस्यों सहित सभी राज्य विधान सभाओं के सदस्य सामान्यतया प्रत्येक राज्य की राजधानी में नियत स्थान पर मतदान करते हैं। तथापि आयोग संसद सदस्य के लिए अपने राज्य की राजधानी में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है और इसी तरह यदि किसी राज्य विधान सभा का कोई सदस्य मतदान की तारीख को दिल्ली में उपस्थित हो तो उसे संसद भवन में स्थापित मतदान केन्द्र में मतदान करने की सुविधा दी जाती है। किन्तु जहां किसी सदस्य द्वारा मतदान किया जाना हो, उससे अन्यत्र किसी स्थान पर मतदान करने के आशय की सूचना निर्वाचन आयोग को उचित समय के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि आवश्यक व्यवस्था की जा सके।

निर्वाचन पर विवाद

संविधान के अनुच्छेद 71 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

राष्ट्रपति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्वाचन में शामिल किसी अभ्यर्थी द्वारा अथवा बीस या बीस से अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त रूप से याचिकाकर्ता के रूप में पेश की जा सकती है। ऐसी कोई याचिका निर्वाचन में सफल अभ्यर्थी के नाम की घोषणा के प्रकाशन की तारीख के बाद किसी भी समय किन्तु ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

संगत कानून

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए और नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित नियमों, में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया और पद्धति सविस्तार दी गई है जिसका आरंभ निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति से होता है।

राष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 और 1969 में हुए चुनावों के अनुभवों से यह पता चलता है कि निर्वाचित होने की कोई आशा न होने पर भी कुछ उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए नामांकन पत्र भरे थे। चिंता का एक अन्य विषय यह भी था कि कुछ व्यक्तियों ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को बड़े ही हल्के ढंग से लेते हुए इसे न्यायालय में चुनौती भी दी थी। इस प्रकार की खामियों को दूर करने के लिए वर्ष 1974 और 1997 में राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन किए गए। इस अधिनियम में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:—

- वर्ष 1974 तक भावी राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी के नामांकन पत्रों पर एक प्रस्तावक और एक समर्थक के हस्ताक्षर अनिवार्य थे तथा नामांकन पत्रों के साथ कोई जमानत राशि जमा नहीं कराई जाती थी। वर्ष 1974 में नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम दस निर्वाचकों तथा समर्थकों के रूप में भी कम से कम दस निर्वाचकों के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए। वर्ष 1997 में यह संख्या बढ़ाकर पचास प्रस्तावक और पचास समर्थक कर दी गई।
- वर्ष 1974 में जमानत राशि 2500 रुपए थी जिसे वर्ष 1997 में बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। तथापि, यदि किसी अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र हैं, तो यह राशि एक बार ही जमा करानी होगी।
- कोई भी निर्वाचक प्रस्तावक या समर्थक के रूप में एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो प्रथम परिदत्त नामांकन पत्र से भिन्न किसी भी नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर अप्रवर्तनीय होंगे।
- किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जायेंगे या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

अभ्यर्थी की जमानत राशि को जब्त अथवा वापिस किया जाना

यदि अभ्यर्थी निर्वाचित न हुआ हो और उसे प्राप्त वैध मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी के सफल चुनाव के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छठे भाग से अधिक न हो तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। अन्य मामलों में जमानत राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जाएगी।

राष्ट्रपति निर्वाचन–एक अवलोकन

निर्वाचन	अभ्यर्थियों की संख्या	संसद सदस्यों के मत का मूल्य	कुल मतदान
पहला राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1952	5	494	6,05,386
दूसरा राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1957	3	496	4,64,370
तीसरा राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1962	3	493	5,62,945
चौथा राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1967	17	576	8,38,048
पांचवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1969	15	576	8,36,337
छठा राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1974	2	723	9,54,783
सातवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1977	1	702	निर्विरोध निर्वाचित
आठवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1982	2	702	10,36,798
नौवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1987	3	702	10,23,921
दसवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1992	4	702	10,26,188
ग्यारहवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1997	2	708	10,06,921
बारहवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2002	2	708	10,30,250
तेरहवां राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2007	2	708	9,69,422

रोचक तथ्य

- 1967 में हुए चौथे राष्ट्रपति चुनाव में 17 अभ्यर्थी थे जिसमें से 9 अभ्यर्थियों को 'कोई' मत प्राप्त नहीं हुआ। 1969 में हुए पांचवें राष्ट्रपति निर्वाचन में 15 अभ्यर्थी थे जिनमें से 5 अभ्यर्थियों को 'कोई' मत प्राप्त नहीं हुआ।
- 1969 के निर्वाचन में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी अभ्यर्थी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रथम दौर में अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं कर पाया।
- 1977 में हुए सातवें राष्ट्रपति के निर्वाचन में, कुल मिलाकर 37 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। संवीक्षा करने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने 36 अभ्यर्थियों के नामांकन रद्द कर दिए। इस प्रकार, नामांकन दाखिल करने वाले केवल एक वैध उम्मीदवार, डॉ. नीलम संजीव रेड्डी मैदान में रह गए जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि भारत में राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए किसी अभ्यर्थी को निर्विरोध घोषित किया गया हो।
- 25 जुलाई, 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होकर पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया।

संसद सदस्यों के उपयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर श्री पी.के. मिश्रा, संयुक्त सचिव और श्रीमती रेनू सदाना, निदेशक की देख-रेख में श्रीमती मंजू शर्मा, अपर निदेशक और श्रीमती उर्मिला शर्मा, उप-निदेशक द्वारा तैयार किया गया। यह एक पृष्ठाधार सहायक सामग्री है। फीडबैक का स्वागत है और इसे lca-lss@sansad.nic.in पर भेजा जा सकता है।